# अध्याय-I

## राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप

# अध्याय–I

## 1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप

### परिचय

**1.1** राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। जन–कल्याण को ध्यान में रखते हुए सा0क्षे0उ0 की स्थापना, व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए की जाती है। 31 मार्च 2016 को बिहार में सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या 74[1] थी ***(परिशिष्ट–1.1)***। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। एक कम्पनी, बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड, 11 अक्टूबर, 2013 को निगमित हुई। इस कम्पनी की लेखापरीक्षा का कार्य इस कार्यालय को वर्ष 2015–16 में दिया गया। किसी सा0क्षे0उ0 को बन्द नहीं किया गया। 31 मार्च 2016 को बिहार में राज्य सा0क्षे0उ0 से संबंधित विवरण नीचे तालिका सं0 1.1 में दर्शाया गया है।

**तलिका सं0 1.1 : 31 मार्च 2016 को सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या**

| सा0क्षे0उ0 का प्रकार | कार्यशील सा0क्षे0उ0 | अकार्यशील सा0क्षे0उ0[2] | कुल योग |
|---|---|---|---|
| सरकारी कम्पनियाँ[3] | 31 | 40 | 71 |
| सांविधिक निगमें | 3 | – | 3 |
| **योग** | **34** | **40** | **74** |

***स्रोत : सूचना सा0क्षे0उ0 के आँकड़ों के अनुसार***

सितम्बर 2016 तक अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 12,879.76 करोड़ का आवर्त्त प्राप्त किया। यह आवर्त्त वर्ष 2015–16 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) का 2.64 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2016 तक अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 599.66 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2016 को राज्य सा0क्षे0उ0, जिनमें अकार्यशील सा0क्षे0उ0 भी सम्मिलित हैं, 17349[4] कर्मचारी नियोजित थे।

31 मार्च 2016 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 थे, जो 10 वर्ष से अधिक अवधि से अस्तित्व में थे एवं जिनमें कुल ₹ 729.02 करोड़ का निवेश था। अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में निवेश का राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं है।

### उत्तरदायित्व रूपरेखा

**1.2** सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 द्वारा अधिशासित है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, एक ''सरकारी कम्पनी'' ऐसी कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार या सरकारों के द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य

---

[1] ***परिशिष्ट–1.1*** में दिए गए विवरण के अनुसार।
[2] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वो हैं जिन्होंने अपने कार्य–कलापों को बन्द कर दिया है।
[3] सरकारी सा0क्षे0उ0 में वो कम्पनियाँ भी शामिल है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) में संदर्भित हैं।
[4] 44 सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।

सरकारों के पास है, एवं वैसी कम्पनी जो इन सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। अग्रेतर, अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0), आवश्यकतानुसार, एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी, ''जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) द्वारा अधिशासित है'' के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करवा सकते हैं तथा इस नमूना लेखापरीक्षा पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त्त) अधिनियम 1971 की धारा 19 अ के प्रावधान लागू होंगे। अतः एक सरकारी कम्पनी या अन्य कम्पनी, जिनका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार या सरकारों के द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा, किया जाता है, की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। किसी कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा जो 31 मार्च 2014 या उससे पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित है, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होगी।

## सांविधिक लेखापरीक्षा

**1.3** राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है), के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। जो सी0ए0जी0 को अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति समर्पित करेंगे, जिसमें अधिनियम की धारा 143(5) के अन्तर्गत कम्पनी के वित्तीय विवरण एवं अन्य दस्तावेज सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सी0ए0जी0 एकल लेखापरीक्षक हैं। बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा सन्दी लेखाकारों एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

## सरकार एवं विधायिका की भूमिका

**1.4** राज्य सरकार अपने प्रशासकीय विभागों द्वारा इन सा0क्षे0उ0 से सम्बन्धित मामलों पर नियंत्रण रखती है। निदेशक पर्षद में मुख्य कार्यपालक एवं निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग का अनुश्रवण भी करती है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के सम्बन्ध में सी0ए0जी0 की टिप्पणियों एवं वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में, धारा 394 के अन्तर्गत या सम्बन्धित अधिनियम में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी0ए0जी0 (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 अ के अन्तर्गत सरकार को समर्पित की जाती है।

## बिहार सरकार का अंश

**1.5** सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार का वृहद वित्तीय अंशदान है। यह अंशदान तीन रूप में है:

- **अंश पूँजी एवं ऋण** – अंश पूँजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार सा0क्षे0उ0 को समय–समय पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- **विशिष्ट वित्तीय सहायता** – राज्य सरकार सा0क्षे0उ0 को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान एवं अर्थसहाय्य के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।

- **प्रत्याभूति** – राज्य सरकार सा0क्षे0उ0 द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं उनके ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए प्रत्याभूति प्रदान करती है।

## राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

**1.6** 31 मार्च 2016 को, 74 राज्य सा0क्षे0उ0 में ₹ 46,693.55 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण नीचे तालिका सं0 1.2 में दर्शाया गया है।

### तलिका सं0 1.2 : सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

| सा0क्षे0उ0 के प्रकार | सरकारी कम्पनियाँ | | | सांविधिक निगमें | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | योग | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | योग | |
| कार्यशील सा0क्षे0उ0 | 31027.97 | 13656.55 | 44684.52 | 185.51 | 1094.50 | 1280.01 | **45964.53** |
| अकार्यशील सा0क्षे0उ0 | 180.79 | 548.23 | 729.02 | – | – | – | **729.02** |
| **योग** | **31208.76** | **14204.78** | **45413.54** | **185.51** | **1094.50** | **1280.01** | **46693.55** |

*स्रोत : सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।*

31 मार्च 2016 तक राज्य के सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश का 98.44 प्रतिशत कार्यशील सा0क्षे0उ0 में तथा शेष 1.56 प्रतिशत अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में था। इस कुल निवेश का 67.23 प्रतिशत अंश पूँजी के लिये तथा 32.77 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। यह निवेश 2011–12 के ₹ 12,374.75 करोड़ से 277.33 प्रतिशत बढकर 2015–16 में ₹ 46,693.55 करोड़ हो गया, जैसा कि आरेख सं0 1.1 में दर्शाया गया है।

### आरेख सं0 1.1 : सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)

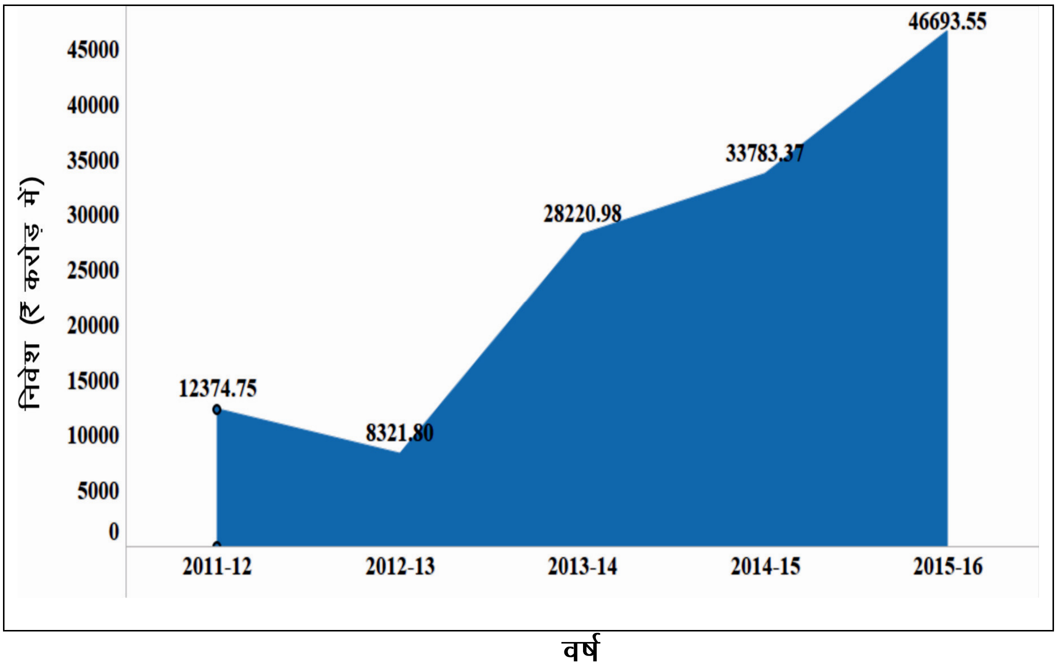

**1.7** 31 मार्च 2016 को सा0क्षे0उ0 में प्रक्षेत्र–वार निवेश का विवरण नीचे तालिका सं0 1.3 में दर्शाया गया है:

**तालिका सं0 1.3 : सा0क्षे0उ0 में प्रक्षेत्र–वार निवेश**

| क्षेत्र का नाम | सरकारी / अन्य कम्पनियाँ | | सांविधिक निगमें | कुल योग | निवेश |
|---|---|---|---|---|---|
| | कार्यशील | अकार्यशील | कार्यशील | | (₹ करोड़ में) |
| ऊर्जा | 9 | – | – | 9 | 38587.70 |
| विनिर्माण | 3 | 12 | – | 15 | 432.37 |
| वित्त | 4 | 4 | 1 | 9 | 597.06 |
| विविध | 3 | 10 | – | 13 | 86.22 |
| सेवाएँ | 3 | 1 | 2 | 6 | 6733.09 |
| आधारभूत सुविधाएँ | 6 | 1 | – | 7 | 106.06 |
| कृषि एवं समवर्गी | 3 | 12 | – | 15 | 151.05 |
| | **31** | **40** | **3** | **74** | **46693.55** |

*स्रोत : सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।*

31 मार्च 2012 तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के अन्त में पाँच महत्वपूर्ण प्रक्षेत्र में निवेश एवं उनकी प्रतिशतता आरेख सं0 1.2 में दर्शायी गयी है।

**आरेख सं0 1.2 : सा0क्षे0उ0 में क्षेत्रवार निवेश**

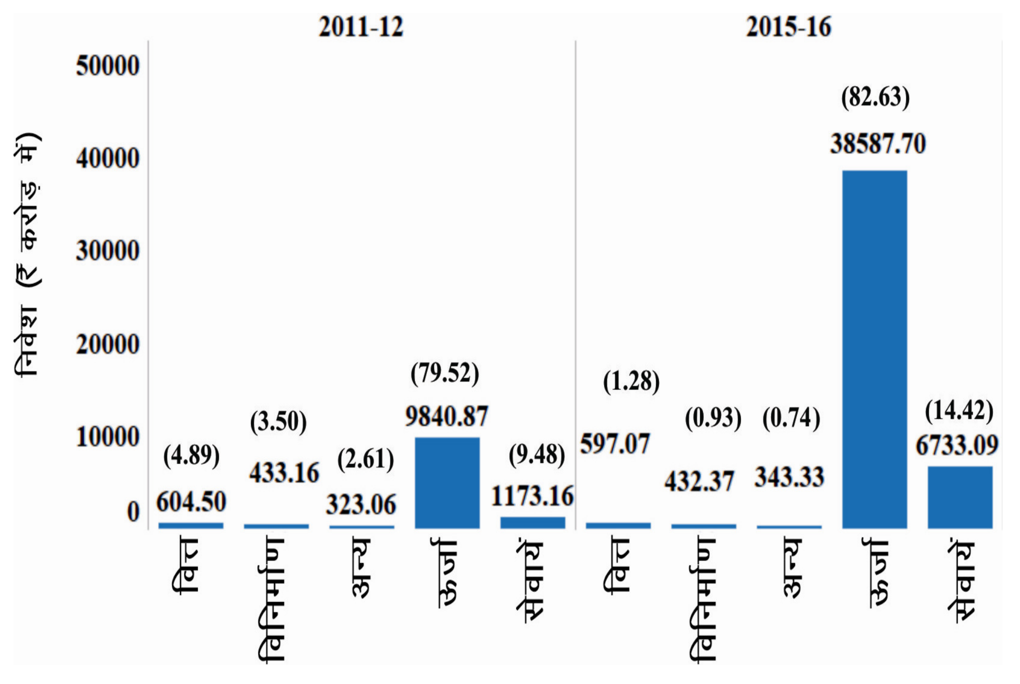


**(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)**

आरेख सं0 1.2 दर्शाता है कि विगत पाँच वर्षों में सा0क्षे0उ0 में निवेश का मुख्य प्रतिबल ऊर्जा क्षेत्र में था। वर्तमान वर्ष में, यह वर्ष 2011–12 के ₹ 9,840.87 करोड़ से 292.12 प्रतिशत बढकर 2015–16 में ₹ 38,587.70 करोड़ हो गया। ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण

निवेश का मुख्य कारण तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का पाँच कम्पनियों[5] में विघटन एवं राज्य सरकार से बजटीय सहायता प्राप्त होना था। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में ₹ 5,744.43 करोड़ के वृहद् निवेश के कारण अन्य क्षेत्रों में निवेश में भी वर्ष 2011–12 की तुलना में 2015–16 में 219.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

## वर्तमान वर्ष की अवधि में वित्तीय सहायता एवं प्रतिफल

**1.8** राज्य सरकार वार्षिक बजट के विभिन्न स्वरूपों द्वारा सा0क्षे0उ0 को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2015–16 को समाप्त हुए तीन वर्षों में सा0क्षे0उ0 से संबंधित अंशों, ऋणों, अनुदानों/अर्थसहाय्यों, अपलिखित ऋणों एवं माफ किये गये ब्याज के रूप में बजटीय बहिर्गमन का विवरण तालिका सं0 1.4 में दर्शाया गया है:

### तालिका सं0 1.4 : सा0क्षे0उ0 को बजटीय बहिर्गमन का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं0 | विवरण | 2013–14 | | 2014–15 | | 2015–16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सा0क्षे0उ0 की संख्या | राशि | सा0क्षे0उ0 की संख्या | राशि | सा0क्षे0उ0 की संख्या | राशि |
| 1. | बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन | 4 | 744.73 | 4 | 2443.01 | 3 | 7455.96 |
| 2. | बजट से दिये गये ऋण | 4 | 1079.54 | 4 | 203.33 | 7 | 426.67 |
| 3. | बजट से प्राप्त अनुदान/अर्थसाहाय्य | 6 | 2060.29 | 7 | 3821.20 | 8 | 5909.33 |
| 4. | कुल बहिर्गमन[6] (1+2+3) | 11 | 3884.56 | 9 | 6467.54 | 14 | 13791.96 |
| 5. | माफ किए ऋण एवं ब्याज | – | – | – | – | – | – |
| 6. | निर्गत प्रत्याभूतियाँ | 5 | 2648.83 | 2 | 818.40 | 4 | 2982.91 |
| 7. | प्रत्याभूति प्रतिबद्धता | 5 | 2910.89 | 7 | 3732.97 | 7 | 9048.50 |

***स्रोत : सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।***

अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों से संबंधित विगत पाँच वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण आरेख सं0 1.3 में दिया गया है :

[5] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

[6] वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के रूप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

**आरेख सं0 1.3 : अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसहाय्यों से सम्बन्धित बजटीय बहिर्गमन**

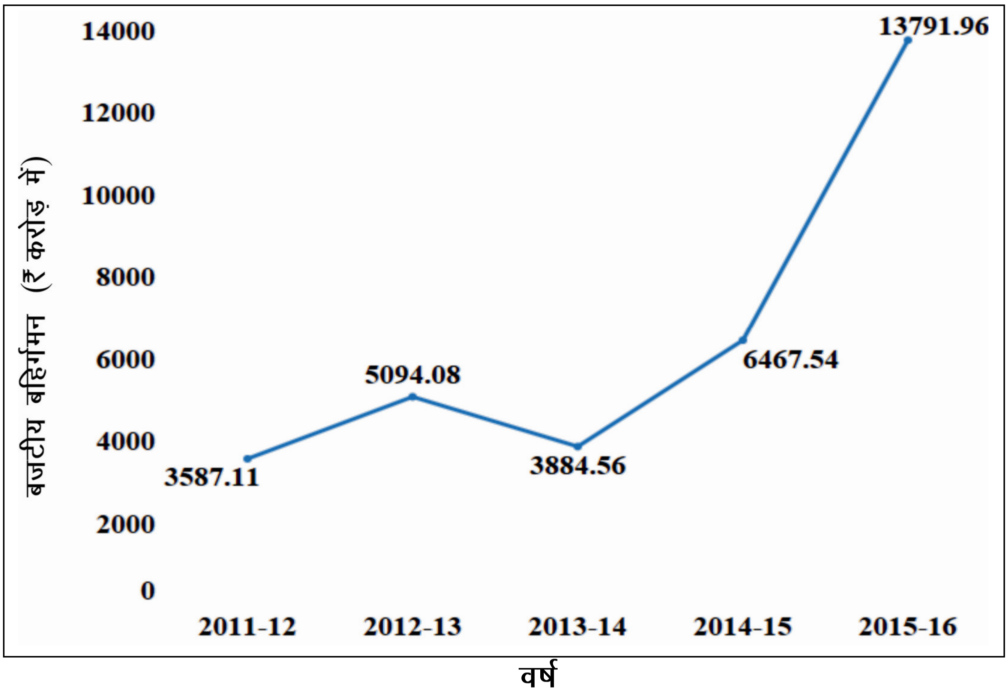


आरेख सं0 1.3 अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्यों के रूप में सा0क्षे0उ0 को बजटीय समर्थन के बढ़ते हुए प्रवृति को दर्शाता है तथा वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 284.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वर्ष 2013–14 को छोड़कर जिसमें वर्ष 2012–13 की तुलना में बजटीय बहिर्गमन में 23.74 प्रतिशत की कमी हुई।

तालिका सं0 1.4 से देखा जा सकता है कि बकाया गारंटी की राशि वर्ष 2015–16 मे ₹ 9048.50 करोड़ थी, जो वर्ष 2014–15 से 2015–16 की अवधि में 142.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सा0क्षे0उ0 को बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिये राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा को ध्यान में रखते हुये प्रत्याभूति प्रदान करती है जिसके लिए प्रत्याभूति शुल्क वसूल किया जाता है। प्रत्याभूति शुल्क के मद में बिहार राज्य वित्तीय निगम के विरुद्ध वर्ष 1982–83 तक की अवधि से संबंधित ₹ 8.87 लाख एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के विरुद्ध मार्च 2016 तक कुल ₹ 1.75 करोड़ बकाया थे।

## वित्तीय लेखाओं के साथ समाशोधन

**1.9** राज्य सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार अंशों, ऋणों एवं अदत्त प्रत्याभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा0क्षे0उ0 एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2016 की स्थिति का विवरण तालिका सं0– 1.5 में दर्शाया गया है:

**तालिका सं0 : 1.5 : वित्त लेखाओं एवं राज्य सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार अंश, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ**

(₹ करोड़ में)

| बकाया | वित्त लेखाओं[7] के अनुसार राशि | सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार राशि | अन्तर |
|---|---|---|---|
| अंश पूँजी | 9386.04 | 16342.36 | 6956.32 |
| ऋण | 4812.88 | 4787.58 | 25.30 |
| प्रत्याभूतियाँ | 4468.07 | 8855.49 | 4387.42 |

*स्रोत : सा0क्षे0उ0 एवं वित्त लेखे, बिहार सरकार 2016, द्वारा समर्पित सूचना*

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि यह अन्तर 47 सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में थे एवं पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिये समाशोधन हेतु लम्बित थे।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा, जाँचोपरांत समाशोधन करने हेतु, राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव का ध्यान आकृष्ट किया गया (अक्टूबर 2011) तथा अद्यतन स्मारपत्र प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सितम्बर 2015 में भेजा गया। तथापि, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सा0क्षे0उ0 को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

## लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

**1.10** कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 96(1) एवं धारा 129(2) के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात सितम्बर के अंत तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम की धारा 99 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान है जिसमें कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी जो ऐसी चूक करता है, उस पर ₹ एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही इस तरह की चूक की पुनरावृति होने पर अन्तिमीकरण के विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए ₹ पाँच हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकारी कम्पनियाँ, जिनके लेखे बकाया में है इस तरह के प्रबंधन के रूप में, किसी भी डिफॉल्ट के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है।

तालिका सं0 1.6 कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा 30 सितम्बर 2016 तक लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

[7] ये सूचनाएँ उन 47 सा0क्षे0उ0 (74 सा0क्षे0उ0 में से) के सम्बन्ध मे हैं जिनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखों मे किया गया है।

## तालिका सं0 : 1.6 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति

| क्रम सं0 | विवरण | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या | 26 | 31[8] | 33 | 33 | 34[9] |
| 2. | वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं की संख्या | 23 | 26 | 31 | 26 | 40 |
| 3. | बकाए लेखाओं की संख्या | 191 | 196 | 199[10] | 206 | 202 |
| 4. | बकाए लेखाओं वाले कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या | 25 | 29 | 29 | 30 | 31 |
| 5. | बकाए लेखाओं की सीमा (वर्ष) | 1 से 22 | 1 से 22 | 1 से 23 | 1 से 24 | 1 से 25 |

***स्रोत : सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।***

तालिका सं0 1.6 में यह देखा जा सकता है कि बकाए लेखाओं की संख्या 191 (2011–12) से बढ़कर 202 (2015–16) हो गई है। 30 सितम्बर 2016 को 34 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से केवल तीन[11] सा0क्षे0उ0 ने वर्ष 2015–16 के अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया था एवं शेष 31 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के विरुद्ध 202 लेखे अन्तिमीकरण के लिए बकाया थे। 31 कार्यशील कम्पनियों के लेखे एक से 25 वर्षों की अवधि के लिए बकाया में थे।

प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाइयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गए हैं। महालेखाकार द्वारा बकाया लेखाओं की स्थिति की सूचना मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को दी गई (अक्टूबर 2016)। तथापि, निदान हेतु कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाये गये।

**1.11** जैसा कि ***परिशिष्ट–1.2*** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 17 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में ₹ 16,239.49 करोड़ {अंश : ₹ 7,478.86 करोड़ (5 सा0क्षे0उ0), ऋण : ₹ 2,255.78 करोड़ (10 सा0क्षे0उ0), अनुदान : ₹ 1,435.14 करोड़ (9 सा0क्षे0उ0) तथा अन्य (अर्थसहाय्य) : ₹ 5,069.71 करोड़ (7 सा0क्षे0उ0)} का निवेश उन वर्षों में किया था, जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। अन्तिमीकृत लेखाओं तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया

---

[8] उक्त आँकड़ों में पाँच नई ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ सम्मिलित है जिन्होंने नवम्बर 2012 से व्यवसाय आरम्भ किया।

[9] एक नई कम्पनी यथा बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड सहित जो 11 अक्टूबर 2013 को समामेलित हुई जिनका दो लेखा बकाया है।

[10] वर्ष 2012–2013 में कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को, इसके विघटन के फलस्वरूप पाँच नयी कम्पनियों में परिवर्तित होने से, सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण, वर्ष 2012–2013 (30 सितम्बर) के अंत में लेखाओं के अन्तिमीकरण का बकाया 197 के स्थान पर 196 लिया गया था।

[11] बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

गया था, उसकी प्राप्ति हुई थी या नहीं, इस प्रकार सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य विधायिका के नियंत्रण से वंचित रहा।

**1.12** उपरोक्त के अतिरिक्त 30 सितम्बर 2016 को वैसे सा0क्षे0उ0, जो कार्यशील नहीं हैं, के लेखे 30 सितम्बर 2016 को अंतिमीकरण हेतु बकाये में थे। 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से पाँच सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया में थे जिनके 101 लेखें पाँच से 26 वर्षों तक की अवधि के लिए बकाये में थे। शेष 35 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाए लेखाओं की अवधि सितम्बर 2016 को आठ से 39 वर्षो तक थी। अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की बकाया लेखाओं से संबंधित स्थिति को तालिका सं0 1.7 में दर्शाया गया है।

### तालिका सं0 1.7 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 से संबंधित लेखाओं की अंतिमीकरण की स्थिति

| वर्ष | अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या | बकाये लेखाओं की संख्या | अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे | बकाया लेखाओं की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| **2013–14** | 36 | 944 | 1977–78 से 2013–14 | 17 से 37 |
| **2014–15** | 35 | 935 | 1977–78 से 2014–15 | 10 से 38 |
| **2015–16** | 35 | 952 | 1977–78 से 2015–16 | 8 से 39 |

*स्रोत : कार्यालय अभिलेखों के अनुसार*

तालिका सं0 1.7 दर्शाता है कि बकाया लेखाओं की संख्या जो वर्ष 2013–14 में 944 थी, वर्ष 2015–16 में बढ़कर 952 हो गई। अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाये लेखाओं की औसत संख्या वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक की अवधि में 26 से 27 के बीच थी, जो अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाया लेखाओं में हो रही वृद्धि को दर्शाता है।

## अन्तिमीकरण नहीं किये गये लेखाओं का प्रभाव

**1.13** जैसा कि कंडिका 1.10 से 1.12 में इंगित किया गया है लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप लोक धन की धोखाधड़ी एवं रिसाव के साथ–साथ सम्बन्धित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन का जोखिम बना रहता है। उपरोक्त लेखाओं के बकाये की स्थिति के कारण वर्ष 2015–16 के लिए राज्य जी0डी0पी0 में सा0क्षे0उ0 के वास्तविक योगदान का निर्धारण नहीं किया जा सका एवं सरकारी राज्यकोष में उनके योगदान को राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका।

**अतः यह अनुशंसा की जाती है कि :**

- **सरकार एक प्रकोष्ठ गठित कर समयबद्ध तरीके से कम्पनियों के बकाये लेखाओं का अंतिमीकरण सुनिश्चित कर सकती है; तथा**
- **जहाँ उचित कर्मियों या विशेषज्ञों का अभाव है वहाँ सरकार लेखाओं को तैयार करने के कार्य का बर्हिःस्रोतन करने पर विचार कर सकती है।**

## पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

**1.14** निगम की वित्तीय लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ0ले0प0प्र0) राज्य सरकार एवं निगम के प्रबंध निदेशक को जारी किया जाता है। प्रत्येक निगम के संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित करने हेतु राज्य सरकार को पृ0ले0प0प्र0 अग्रेषित करने की जिम्मेदारी प्रबंध

निदेशक की होती है। राज्य सरकार पृ0ले0प0प्र0 को राज्य विधानमंडल में उपस्थापित करती है।

नीचे वर्णित विवरण, सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत (30 सितम्बर 2016 तक) पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ले0प0प्र0) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाता है:

**तालिका सं0 : 1.8 : पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधायिका में प्रस्तुत करने की स्थिति**

| क्रम सं0 | सांविधिक निगम का नाम | वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका में प्रस्तुत की गई | वर्ष जिसका पृ0ले0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया | |
|---|---|---|---|---|
| | | | पृ0ले0प0प्र0 का वर्ष | सरकार को निर्गत करने की तिथि |
| 1. | बिहार राज्य भण्डारण निगम | 2007–08 | 2008–09<br>2009–10<br>2010–11 | 28 फरवरी 2011<br>8 जनवरी 2014<br>20 फरवरी 2015 |
| 2. | बिहार राज्य वित्तीय निगम | 2014–15 | – | – |
| 3. | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम | 1973–74 | 1974–75 से 2005–06 (32) विवरण निम्नवत् | |
| | | | 1991–92 | 09 जून 1997 |
| | | | 1992–93 | 02 सितम्बर 1998 |
| | | | 1993–94 | 02 सितम्बर 1998 |
| | | | 1994–95 | 04 दिसम्बर 1998 |
| | | | 1995–96 | 18 अप्रैल 2000 |
| | | | 1996–97 | 19 मार्च 2004 |
| | | | 1997–98 | 19 अक्टूबर 2004 |
| | | | 1998–99 | 12 अप्रैल 2005 |
| | | | 1999–2000 | 07 अक्टूबर 2005 |
| | | | 2000–01 | 24 सितम्बर 2007 |
| | | | 2001–02 | 26 अक्टूबर 2007 |
| | | | 2002–03 | 25 जनवरी 2010 |
| | | | 2003–04 | 20 मई 2014 |
| | | | 2004–05 | 10 फरवरी 2015 |
| | | | 2005–06 | 29 सितम्बर 2015 |

*स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना*

तालिका सं0 1.8 से देखा जा सकता है कि निगमों द्वारा तीन से 32 साल तक के पृ0ले0प0प्र0 को राज्य विधानमंडल में उपस्थापित नहीं किया गया। पृ0ले0प0प्र0 को राज्य विधानमंडल में विलम्ब से उपस्थापित करने का मामला दिसम्बर, 2010 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में लाया गया था। इस मामले को महालेखाकार द्वारा भी प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार के ध्यान में

लाया गया था (मई 2011), तत्पश्चात् अगस्त, 2016 में भी इस सम्बन्ध में स्मार पत्र में भेजा गया। तथापि, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की पृ0ले0प0प्र0 की उपस्थापित करने की दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ।

राज्य विधान मंडल में पृ0ले0प0प्र0 का अप्रस्तुतीकरण वैधानिक निगमों पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है तथा वैधानिक निगमों की वित्तीय जवाबदेही को भी गौण करता है। सरकार द्वारा पृ0ले0प0प्र0 राज्य विधानमंडल में ससमय उपस्थापित करने को सुनिश्चित करना चाहिए।

## अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

**1.15** कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट–1.1*** में वर्णित हैं। सा0क्षे0उ0 के आवर्त तथा राज्य के जी0डी0पी0 का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों की योगदान को दर्शाता है। नीचे दी गयी तालिका 2015–16 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में कार्यशील सा0क्षे0उ0 का आवर्त्त एवं राज्य के जी0डी0पी0 को दर्शाता है :

### तालिका सं0 1.9 : कार्यशील स0क्षे0उ0 का आवर्त्त एवं राज्य के जी0डी0पी0 का विवरण

**(राशि : ₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 |
|---|---|---|---|---|---|
| आवर्त्त[12] | 7811.28 | 2813.70 | 7924.89 | 11619.64 | 12879.76 |
| राज्य का जी0डी0पी0 | 343269 | 293616 | 343663 | 402283 | 487316 |
| राज्य के जी0डी0पी0 का आवर्त प्रतिशत | 2.28 | 0.96 | 2.31 | 2.89 | 2.64 |

*स्रोत : सा0क्षे0उ0 तथा वित्त लेखे द्वारा समर्पित सूचना।*

तालिका 1.9 दर्शाता है कि कार्यशील सा0क्षे0उ0 का व्यवसाय क्रमशः वर्ष 2011–12 में ₹ 7811.28 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में ₹ 12879.76 करोड़ थे, जिसमें उपरोक्त अवधि में व्यावसाय में 64.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि, इसी अवधि में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 41.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। तथापि, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के विरुद्ध व्यवसाय का प्रतिशत वर्ष 2011–12 में 2.28 से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 2.64 हो गया।

**1.16** वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा अर्जित/वहन की गयी कुल लाभ/हानि नीचे आरेख सं0 1.4 में दर्शायी गयी है:

[12] 30 सितम्बर को अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार आवर्त्त।

**आरेख सं0 1.4 : कार्यशील सा0क्षे0उ0 के द्वारा अर्जित/वहन की गयी कुल लाभ/हानि**

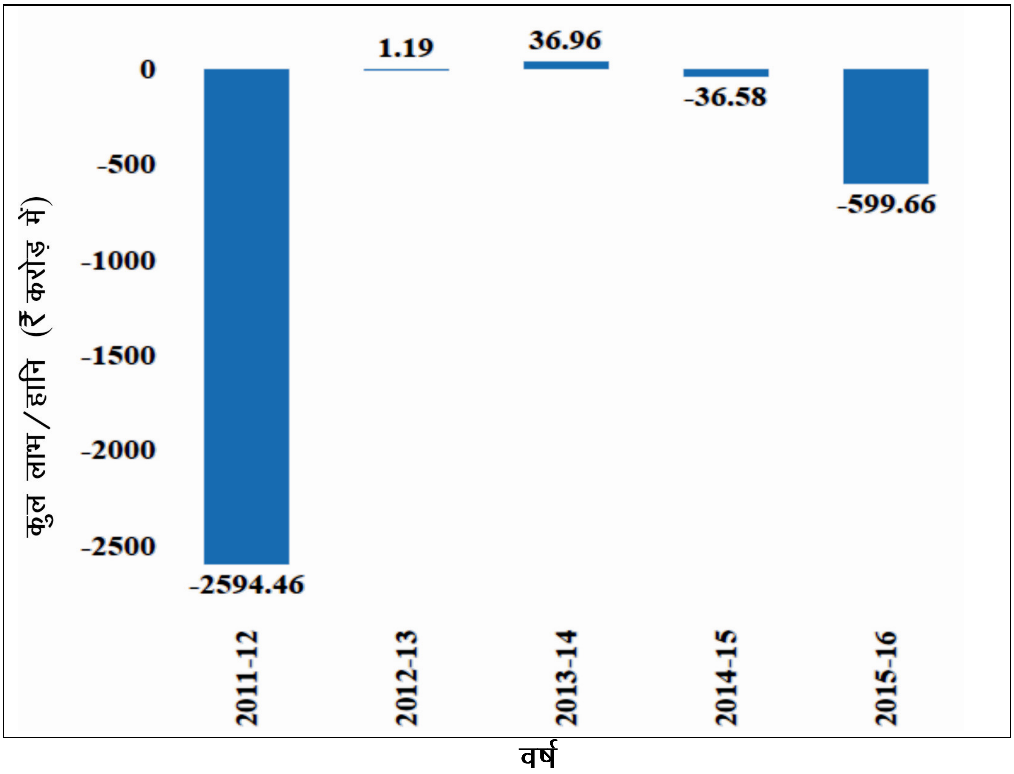


**(कोष्ठक में दी गई राशि सा0क्षे0उ0 की संख्या को दर्शाता है।)**

आरेख सं0 1.4 दर्शाता है कि वर्ष 2011–12 में ₹ 2594.46 करोड़ की कुल हानि, तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विघटन के कारण, वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में क्रमशः ₹ 1.19 करोड़ एवं ₹ 36.96 करोड़ के मामूली लाभ में परिवर्तित हो गया। तथापि, वर्ष 2014–15 में पुनः ₹ 36.58 करोड़ की हानि हुई, जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर ₹ 599.66 करोड़ हो गई। वर्ष 2015–16 के दौरान 34 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 15 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 544.97 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 14 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1144.63 करोड़ की हानि वहन की। शेष पाँच सा0क्षे0उ0 में से तीन[13] सा0क्षे0उ0 ने शून्य लाभ/हानि अर्जित/वहन की एवं दो सा0क्षे0उ0[14] ने अभी तक (सितम्बर 2016) अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किये थे। लाभ में योगदान करने वाले सा0क्षे0उ0 में बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड (₹ 132.87 करोड़), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 110.17 करोड़), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 78.07 करोड़), बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 70.51 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 58.57 करोड़) थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार वैसे सा0क्षे0उ0 जिन्होंने भारी हानि वहन की, वे थे, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 747.55 करोड़), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 296.79 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 59.23 करोड़)।

**1.17** कार्यशील सा0क्षे0उ0 के कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड नीचे तालिका सं0 1.10 में दर्शाये गये हैं :

[13] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

[14] पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड।

### तालिका 1.10 : कार्यशील सा0क्षे0उ0 के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 |
|---|---|---|---|---|---|
| नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत) | – | 18.41 | 1.91 | 0.44 | – |
| ऋण | 11193.13 | 4030.88 | 9349.36 | 11693.27 | 14751.06 |
| ऋण/ आवर्त्त अनुपात | 1.43 | 1.43 | 1.18 | 1.01 | 1.15 |
| ब्याज का भुगतान | 1558.11 | 78.86 | 248.56 | 168.30 | 333.73 |
| संचित लाभ (हानि) | (–)9648.57 | (–)1129.86 | (–)1875.61 | (–)3137.76 | (–)3953.15 |

***स्रोत : सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।***

यह देखा जा सकता है कि नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ 18.41 प्रतिशत (2012–13) से घटकर ऋणात्मक 1.02 प्रतिशत (2015–16) हो गया। संचित हानि तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विघटन के कारण 2012–13 में प्रबल रूप से घट गया। यह पुनः ₹ 1129.86 करोड़ (2012–13) से बढ़कर ₹ 3953.15 करोड़ (2015–16) हो गया।

**1.18** राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक उपक्रमों को न्यूनतम लाभांश देना है। 15 सा0क्षे0उ0 ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 544.97 करोड़ का लाभ अर्जित किया। हालाँकि, 15 सा0क्षे0उ0 में से केवल पाँच कम्पनियों अर्थात बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 5 करोड़, ₹ 5 करोड़, ₹ 3 करोड़, ₹ 2 करोड़ एवं ₹ 52.50 लाख का लाभांश घोषित किया।

## अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

**1.19** 31 मार्च 2016 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थीं । इनमें से पाँच सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत थे। चूँकि अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं राज्य के अर्थव्यवस्था में कोई योगदान करने में विफल हो गये हैं, अतः इन सा0क्षे0उ0 के समापन अथवा इनके पुर्नजीवित करने हेतु विचार किया जा सकता है।

**1.20** अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में इनके समापन की अवस्था तालिका सं0 1.11 में दर्शित है :

### तालिका सं0 1.11 : अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

| क्रम सं0 | विवरण | कम्पनियाँ | सांविधिक निगमें | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या | 40 | – | 40 |
| 2. | उपरोक्त (1) में से : | | | |
| (अ) | न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त) | 5[15] | – | 5 |

[15] कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड।

| क्रम सं0 | विवरण | कम्पनियाँ | सांविधिक निगमें | योग |
|---|---|---|---|---|
| (ब) | बन्द, अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश निर्गत परन्तु समापन प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं | 5[16] | – | 5 |

***स्रोत : सरकारी समापक, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना***

वर्ष 2015–16 की अवधि में किसी सा0क्षे0उ0 का समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे लम्बी अवधि से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित होती है तथा इसका धारण/अनुसरण प्रभावशाली तरीके से किया जाना चाहिए।

## लेखाओं पर टिप्पणियाँ

**1.21** वर्ष 2015–16[17] में 17 कार्यशील कम्पनियों[18] ने अपने 39 अंकेक्षित लेखाओं को महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से 11 कम्पनियों के 16 लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये। सी0ए0जी0 के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी0ए0जी0 की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रख–रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्यों का विवरण तालिका सं0 1.12 में दिया गया है :

### तालिका सं0 1.12 : कार्यशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रभाव

**(राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | विवरण | 2013–14 | | 2014–15 | | 2015–16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में कमी | 2 | 51.20 | 2 | 692.89 | 7 | 35.23 |
| 2. | हानि में वृद्धि | 7 | 49.20 | 4 | 121.18 | 3 | 233.50 |
| 3. | महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण | 9 | 4914.22 | 2 | 401.37 | 1 | 0.70 |
| 4. | वर्गीकरण की त्रुटियाँ | 4 | 357.95 | 7 | 1088.69 | 4 | 11653.82 |
| | **कुल** | **22** | **5372.57** | **15** | **2304.13** | **15** | **11923.25** |

***स्रोत : सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।***

सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं सी0ए0जी0 की टिप्पणी का कुल मौद्रिक मूल्य वर्ष 2013–14 के ₹ 5372.57 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 11923.25 करोड़ हो गया। अग्रेतर, प्रति लेखा टिप्पणियों का औसत मौद्रिक मूल्य वर्ष 2013–14 के

---

[16] बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट डेयरी कारपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड।

[17] ***परिशिष्ट–1.1*** की क्रम संख्या अ 4, अ 7, अ 8, अ 9, अ 10, अ 12, अ 13, अ 14, अ 18, अ 19, अ 20, अ 21, अ 22, अ 23, अ 26, अ 30 एवं अ 31।

[18] अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि तक।

₹ 244.21 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 794.88 करोड़ हो गया। यह लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

वर्ष के दौरान 19 कम्पनियों[19] द्वारा अन्तिमीकृत 57 लेखाओं[20] पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सशर्त्त प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक था क्योंकि वर्ष के दौरान आठ[21] कम्पनियों के आठ लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 26 मामले पाये गये।

**1.22** इसी प्रकार, वर्ष 2015–16[22] के दौरान एक कार्यशील सांविधिक निगम ने अपने लेखा को महालेखाकार को अग्रसारित किया। हाँलाकि, बिहार राज्य वित्तीय निगम के लेखाओं जिनकी लेखापरीक्षा पूर्व वर्ष में की गई थी, पर वर्तमान वर्ष की अवधि में टिप्पणी जारी की गई। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभाव की विवरणी तालिका सं0 1.13 में दर्शायी गयी हैः

**तालिका सं0 1.13 : सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव**

**(₹ करोड़ में)**

| क्रम सं0 | विवरण | 2013–14 | | 2014–15 | | 2015–16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में कमी | 1 | 3.75 | 1 | 8.47 | – | – |
| 2. | हानि में वृद्धि | 1 | 0.64 | – | – | 1 | 1.01 |
| 3. | महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण | 1 | 4.05 | – | – | – | – |

*स्रोत : सांविधिक निगमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना*

## लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

### निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ

**1.23** 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, दो लेखापरीक्षाएँ अर्थात बिहार के विद्युत वितरण कम्पनी में वितरण फ्रेंचाइजी की कार्यविधि लेखापरीक्षा तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम की वसूली निष्पादन की लेखापरीक्षा तथा 12 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ संबंधित विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह की समयावधि में उत्तर प्रेषित करने के निवेदन के साथ निर्गत की गई हैं। तथापि, दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, बिहार के पावर वितरण कम्पनी में वितरण फ्रेंचाइजी की कार्यविधि लेखापरीक्षा, सात अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर राज्य सरकार से अप्राप्त थे (नवम्बर, 2016)।

## लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया

### लम्बित जवाब

**1.24** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) के प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति को दर्शाता है। अतः यह आवश्यक है कि इनमें विनियोग व कार्यपालिका की ससमय प्रतिक्रिया परिलक्षित हो। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने

---

[19] कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (39) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (18)

[20] कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (17) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (2)

[21] ***परिशिष्ट–1.1*** की क्रम संख्या अ 4, अ 12, अ 14, अ 18, अ 19, अ 21, अ 22 एवं अ 31।

[22] अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि तक।

सभी प्रशासकीय विभागों को यह निर्देश दिया (अप्रैल 2015) कि कोपू के प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना भारत के सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर/स्पष्टीकरण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ निर्धारित प्रपत्र में विधायिका में प्रस्तुतिकरण के तीन माह की अवधि के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणी की स्थिति तालिका सं0 1.14 में दर्शाया गया है:

**तालिका सं0 1.14 : अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ (यथा 30 सितम्बर 2016 को)**

| लेखापरीक्षक प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/सा0क्षे0उ0) | लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के विधायिका में प्रस्तुतिकरण की तिथि | लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि0ले0प0)एवं कंडिकाओं की कुल संख्या | | वैसी निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की कुल संख्या जिनके उत्तर/ स्पष्टीकरण टिप्पणी अप्राप्त थे | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | निष्पादन लेखापरीक्षाएँ | कंडिकाएँ | निष्पादन लेखापरीक्षाएँ | कंडिकाएँ |
| **2010–11** | 06.08.2012 | 02 | 09 | 01 | 06 |
| **2011–12** | 01.08.2013 | 02 | 12 | 01 | 06 |
| **2012–13** | 15.07.2014 | 03 | 12 | 02 | 06 |
| **2013–14** | 07.04.2015 | 02 | 14 | 01 | 03 |
| **2014–15** | 18.03.2016 | 02 | 14 | 02 | 10 |
| **कुल योग** | | **11** | **61** | **07** | **31** |

*स्रोत : कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार*

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 61 कंडिकाओं तथा 11 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 13 विभागों की 31 कंडिकाएँ एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं की स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ जो विगत पाँच वर्षो में राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गईं, अप्राप्त थे (सितम्बर 2016)।

## कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार विमर्श

**1.25** 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा0क्षे0उ0) में उद्धृत एवं लोक उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा विचार–विमर्श की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं कि स्थिति निम्न है:

**तालिका सं0 1.15 : 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित समीक्षाएँ/कंडिकाएँ एवं इन पर परिचर्चा की स्थिति**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित | | विचार विमर्श की गयी कंडिकाएँ | |
| | निष्पादन लेखापरीक्षाएँ | कंडिकाएँ | निष्पादन लेखापरीक्षाएँ | कंडिकाएँ |
| **2010–11** | 02 | 09 | – | 01 |
| **2011–12** | 02 | 12 | – | 04 |
| **2012–13** | 03 | 12 | 01 | 06 |
| **2013–14** | 02 | 14 | 01 | 03 |
| **2014–15** | 02 | 14 | 0 | 0 |
| **कुल योग** | **11** | **61** | **02** | **14** |

*स्रोत : कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार*

## लोक उपक्रमों की समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

**1.26** दिसम्बर 2011 से दिसम्बर 2013 की अवधि में राज्य विधायिका में कोपू के तीन प्रतिवेदनों की पाँच कंडिकाओं से सम्बन्धित कार्यवाही टिप्पणियाँ अप्राप्त थे (सितम्बर

2016) जो कि तालिका सं0 1.16 में दर्शायी गयी है :

**तालिका सं0 1.16 : कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन**

| कोपू प्रतिवेदन का वर्ष | कोपू प्रतिवेदन की कुल संख्या | कोपू प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या | वैसी अनुशंसाओं की कुल संख्या जिनके ए0टी0एन0 अप्राप्त थे |
|---|---|---|---|
| **2010–11** | 01 | 03 | 03 |
| **2011–12** | 01 | 01 | 01 |
| **2012–13** | – | – | – |
| **2013–14** | 01 | 01 | 01 |
| **2014–15** | – | – | – |
| **कुल योग** | **03** | **05** | **05** |

*स्रोत : लोक उपक्रम समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार*

कोपू के इन प्रतिवेदनों में प्रत्येक विभाग की कंडिकाओं से सम्बन्धित अनुशंसाएँ सम्मिलित थीं जो भारत के सी0ए0जी0 के वर्ष 1996–97 से 2005–06 के प्रतिवेदनों में सम्मिलित है।

**यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि :**

- **निर्धारित समय–सूची के अनुसार स्पष्टीकरण टिप्पणियों/कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कोपू द्वारा की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई पर टिप्पणी का प्रेषण;**
- **निर्धारित अवधि में हानि/अदत्त अग्रिम/अधिभुगतान की वसूली; तथा**
- **लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया हेतु तंत्र में, निर्धारित समय–सीमा में जवाब उपलब्ध कराकर, सुधार हो।**

## स0क्षे0उ0 का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

**1.27** राज्य सरकार द्वारा सा0क्षे0उ0 के विनिवेश के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके अतिरिक्त, झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा0क्षे0उ0 की पुर्नसंरचना की जानी थी। 12 सा0क्षे0उ0 की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रबन्धन के बँटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया था। तथापि, इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा0क्षे0उ0[23] के सम्बन्ध में ही किया गया है (सितम्बर 2016)।

[23] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल–विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।